संख्या-91/2023/1617/22-2-2022-17(1166)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 मार्च, 2023

विषय:-जिला कारागार ,बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मौ अहसान पुत्र श्री निसार अहमद निवासी जनपद-बिजनौर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मौ 0अहसान पुत्र श्री निसार अहमद, सिरधनी, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज के कारण दिनांक 12.10.2010 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लात घूसों से-मारकर अपनी पत्नी आसिफा की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 2011/136 में भा0द0वि0 की धारा-304बी व 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, बिजनौर के आदेश दिनांक 21.12.2012 द्वारा 14 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 02.10.2021 तक 09 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 12 वर्ष, 03 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर ने बंदी द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित आपराध की श्रेणी में न होने, छूटने पर पुन: अपराध कारित करने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी की उम्र 25 वर्ष होने, पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार , बिजनौर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मौ0 अहसान (बन्दी संख्या-400/2012) पुत्र श्री निसार अहमद निवासी जनपद-बिजनौर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-91/2023/1617(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।